VISION IAS
M N 15 JUL 2024 No. 3
RECEIVED

VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2364)

Name of Candidate	JITENDRA KUMAWAT		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	45943301
Center	MN	Date	14/07/2024

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?

Recommended	Strongly Recommended

VisionIAS

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VisionIAS

All the Best

For one-to-one mentoring session on this copy, call us at 7042691891 or send an email to appointment@visionias.in

Q1. धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सामना की जाने वाली आलोचनाओं पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the criticisms faced by the Enforcement Directorate (ED) in fulfilling its mandate of investigating offences of money laundering and violations of foreign exchange laws. (Answer in 150 words) 10

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई है जिसका मुख्य कार्य धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघनो के अपराधो की जांच करना

ED का अधिकार क्षेत्र संबंधित कानून
- FEMA
- आर्थिक भगोड़ा अपराध आदि
- PMLA
- COFEPOSA

अधिदेश पूरा करने में सामना की जाने वाली आलोचना

- संस्था का राजनीतिकरण
  - राजनीतिक दलों विशेषतः सत्ताधारी पक्ष द्वारा दुरुपयोग की संभावना

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ निम्न दोष सिद्धी दर

└ पिछले एक दशक में 2000 से अधिक केस दर्ज पर सफलता मात्र 8 केसों में

→ प्रशासनिक इकाई को न्यायिक शक्तियां

└ सजा देने व संपत्ति जब्त करने जैसी

→ अपारदर्शी कार्यवाही

→ अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां

जैसे - बिना FIR किये मामला शुरू व गिरफ्तारी

→ स्वायत्त नहीं

इस प्रकार एक प्रशासनिक संस्था जिसका काम धनशोधन संबंधी मामलों को देखरेख करना है को संवैधानिक मान्यता देकर तथा चुनौतियों को समाप्त कर अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

VisionIAS

Q2. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (DRSCs), जिन्हें 'मिनी पार्लियामेंट' भी कहा जाता है, अपने कार्यों को करने में प्रभावी क्यों नहीं रही हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Why are the Departmentally Related Standing Committees (DRSCs), also known as 'Mini Parliament', not effective in carrying out their functions? (Answer in 150 words) 10

संसद द्वारा मंत्रालयों की सहायता के लिए विभिन्न विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना की जाती है, जिन्हें मिनी पार्लियामेंट कहते है

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की संरचना

- संख्या (24)
  - लोकसभा (10)
  - राज्यसभा (8)
- कार्यकाल
  - 1 वर्ष
- अध्यक्ष
  - लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा निर्वाचित
- सदस्य संख्या (31)

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

कार्य
- मंत्रालयों को सहायता देना
- विभिन्न विधेयकों की जांच करना
- बजट संबंधी प्रावधानों की जांच करना

इत्यादि

कार्य निष्पादन प्रभावी क्यों नहीं?
- विशेषज्ञता का अभाव
- समय का अभाव
  - ∟ चूंकि कार्यकाल 1 साल
- पुराने अनुभवों का उपयोग न कर पाना
  - ∟ हर साल गठन के कारण
- मात्र परामर्शदात्री संस्था
  - ∟ अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं
- मंत्रालयों के दैनंदिन के कार्यों की जांच नहीं
- कई रिपोर्टों की जांच कार्य उपरांत तो शव-परीक्षण जैसा कार्य
- मंत्रालयों द्वारा अनुशंसाओं पर गौर नहीं करना

इस प्रकार विभिन्न कारणों के कारण ये समितियां अपनी शत प्रतिशत उत्पादकता नहीं दे पा रही हैं।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q3. भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the similarities and differences with regard to the separation of powers in India, USA, and UK? (Answer in 150 words) 10

अमेरिका, ब्रिटेन तथा भारत तीनों में शासन का लोकतंत्रीय स्वरूप प्रचलित है जिनमें पर्याप्त विविधता पाई जाती है

शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने दिया जिसके अनुसार राज्य की तीनों संस्था अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों में पृथक्करण होना चाहिए।

अमेरिका, ब्रिटेन, भारत की शक्ति पृथक्करण में

समानताएं

- सैद्धांतिक तौर पर तीनों में शक्ति पृथक्करण को अपनाया
- तीनो देशों की तीनों संस्थाओं में पर्याप्त पृथक्करण
- कोई एक संस्था अधिक शक्तिशाली
  - USA – न्यायपालिका
  - ब्रिटेन – संसदीय संप्रभुता
  - भारत – संविधान

भिन्नताएँ

भारत	अमेरिका	ब्रिटेन
(1) लिखित संविधान └ A. 50 - कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण	लिखित संविधान └ कार्यपालिका न्यायपालिका तथा विधायिका का पृथक्करण	लिखित संविधान का अभाव
(2) पूर्णतः विभाजन का अभाव कार्यपालिका में मंत्री विधायिका से ही चुने जाते हैं	पूर्ण विभाजन └ कार्यपालिका तथा विधायिका पूर्णतः विभाजित तथा कोई संबंध नहीं	पूर्ण विभाजन का अभाव └ मंत्री विधायिका का भाग
(3) पूर्ण विभाजन के स्थान पर संतुलन एवं नियंत्रण की स्थिति	पूर्ण विभाजन जिसे कठोर विभाजन भी कहते हैं	पूर्ण विभाजन नहीं लेकिन कठोर
(4) न तो संसदीय संप्रभुता न ही न्यायपालिका बल्कि संविधान सर्वोच्च	न्यायपालिका की सर्वोच्चता	संसदीय संप्रभुता

इस प्रकार तीनों देशों में पर्याप्त समानता तथा विभिन्नताएं हैं।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q4. यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों ने राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है, तथापि राज्य सरकारें स्वयं ही अपने समक्ष आने वाली वित्तीय चुनौतियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Though measures adopted by the Central government have impacted state finances, the state governments themselves are mainly responsible for the financial challenges they face. Discuss. (Answer in 150 words) 10

संविधान के अनुच्छेद 256 से 275 तक राज्य तथा केंद्र के वितीय संबंधो के बारे में बताया गया है।

पिछले कुछ सालों में केंद्र तथा राज्यों की वितीय स्थितियो में कुछ चुनौतियां सामने आई है।

राज्य वितीय स्थिति को प्रभावित करने मे

केंद्र की भूमिका

→ एक राष्ट्र एक कर कानून अर्थात GST
↳ अनुच्छेद 246(A) के तहत GST लागू होने के कारण राज्य VAT octroi tax, आदि समाप्त
फलस्वरूप - वितीय स्थिति गिरी

→ GST compensation समय पर भुगतान नही → कोविड के समय ऐसी स्थिति तथा केंद्र द्वारा 95000करोड़ की विडो

VisionIAS

- वित्त आयोग की प्रणाली
  - वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में 2011 की जनगणना का प्रयोग फलस्वरूप कई राज्यों को अधिक तो कई राज्यों को कम वित्त अंतरण
  - राज्यों को मात्र 41% का अंतरण
- केंद्र प्रत्यायोजित योजनाओं में केंद्र द्वारा वित्तपोषण में कमी जैसे (90:10 राज्य केंद्र), (60:40) आदि
- अनुच्छेद 275 – संवैधानिक अंतरण संबंधी मुद्दे

राज्यों की स्वयं की चुनौतियां

- राज्य द्वारा लगाये जा सकने वाले करों में छूट - जैसे - स्टाम्प ड्यूटी, प्रोफेशनल कर
- लोक लुभावन योजनाएँ – Old pension Scheme
- उच्च ऋण : जीडीपी अनुपात
  - उदा. हरियाणा (48%), राजस्थान (42%)

इन सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति को निम्न अथवा हेतु दोनों संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q5. हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार जीवन और समानता के अधिकार से संबद्ध है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संवैधानीकरण में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The Supreme Court of India recently recognised that the right against the adverse impacts of climate change is intertwined with the right to life and equality. Discuss the role played by the judiciary in constitutionalization of environmental issues. (Answer in 150 words) 10

जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय का ज्वलंत मुद्दा है इसके कारण सुभेद्य वर्ग तक हाशिये पर स्थित वर्ग को अधिक नुकसान हो रहा है फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकारों को जीवन का अधिकार (A.21) तथा समानता का अधिकार (A.14-18) से संबद्ध बताया है।

पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकरण में न्यायपालिका की भूमिका

- एम. सी. मेहता वाद
  - स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार A.21 में शामिल
- दिल्ली में डीजल मोटर्स पर प्रतिबंध लगाना

VisionIAS

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- BS IV से सीधा BS VI मानकों का कार्यान्वयन
- दिल्ली NCR क्षेत्र में पराली जलाने पर प्रतिबंध
- पटाखों पर प्रतिबंध
- ग्रीन ट्रिब्यूनल जोन (T7Z) की स्थापना
- ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन ~~प्लान~~ प्लान की स्थापना
- CAQM (Commission for Air quality + management) की स्थापना में सहयोग
- रविन रावत की ध्वस्त करना।

इस प्रकार वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों के संवैधानिकरण हेतु प्रयास किये जा रहे है।

VisionIAS

Q6. स्वयं सहायता समूहों (SHG) के संघ भारत में SHGs को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार के रूप में उभरे हैं। विवेचना कीजिए। इनके कामकाज को कौन-सी कमियां बाधित करती हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

SHG federations have emerged as an important institutional innovation to sustain SHGs in India. Discuss. What inadequacies hamper their functioning? (Answer in 150 words) 10

स्वयं सहायता समूह का तात्पर्य समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा एक साझा लक्ष्य का गठन व कार्यान्वयन ताकि उनके आर्थिक हितों को रखा हो सके।

उदाहरण - सेवा (SEWA), कुदुंबश्री

वर्तमान में लगभग 1 करोड़ SHG भारत में है जो लगभग 10 करोड़ परिवारों को सहायता दे रहे हैं।

SHG संघ नवाचार के रूप में

- नई तकनीकों का समायोजन जैसे मशीनीकरण, पावरलूम इत्यादि
- e-COM का उपयोग
- कौशल विकास ↑
- आर्थिक सहायता सुनिश्चितीकरण

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

SHGs के कामकाज में बाधाएँ

- आर्थिक
  - संस्थागत ऋण की कमी
  - उच्च ब्याज दर
  - सब्सिडी की कमी
- कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार
- संस्थागत कमियाँ
  - अवसंरचना का अभाव
  - सदस्यों की सीमित क्षमता
  - औपचारीकरण का अभाव
- राजनीतिक
  - राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव
  - SHGs का राजनीतिक दबाव समूह के रूप में
- जागरूकता का अभाव
- डिजीटल डिवाइड तथा डिजीटल शिक्षा का अभाव
  - eg. 90% से अधिक SHGs के पास इंटरनेट नहीं.
- औपचारिक कौशल का अभाव

SHG कल्याणकारी राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है साथ ही SDG लक्ष्यों व 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने हेतु महत्वपूर्ण अंग है अतः सरकार को विशेष SHG नीति बनाने की आवश्यकता है

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q7. बार-बार स्थानांतरण भारत में उच्चतर सिविल सेवा की एक गंभीर समस्या है। सिविल सेवकों के बार-बार स्थानांतरण से जुड़े दोषों पर चर्चा कीजिए और इस समस्या के समाधान के लिए सुधारों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Frequent transfers are a pervasive problem among the higher civil service in India. Discuss the drawbacks associated with frequent transfers of civil servants and suggest reforms to overcome this issue. (Answer in 150 words) 10

सिविल सेवा को देश की स्टील फ्रेम या रीड की हड्डी माना जाता है, लेकिन विभिन्न कारणों से सिविल सेवकों का बार-बार हस्तांतरण होता रहता है।

Eg:- IAS अशोक खेमका का 30 साल के करियर में 56 बार स्थानांतरण।

बार-बार स्थानांतरण से जुड़े दोष

- सजा के रूप में स्थानांतरण
- राजनीतिक आकाओं द्वारा तुष्टीकरण की नीति के चलते
- क्रोनी-कैपिटलिज्म को बढ़ावा
- सरकारी कार्यवाहियां बाधित
- कल्याणकारी योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव
- कार्य संस्कृति का पतन

VisionIAS

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समाधान के लिए सुझाव

2nd ARC, होता समिति, सुरेंद्रनाथ समिति आदि ने निम्न उपाय बताये है

- सिविल सेवा बोर्ड का गठन (2016 में हो चुका)
- कार्यकाल की सुरक्षा (कम से कम 2 साल)
- 2 साल पूर्व स्थानांतरण तो कारण बताना अनिवार्य
- स्थानांतरण प्रक्रिया सिविल सेवा बोर्ड के माध्यम से न की मुख्यमंत्री या राजनीतिक तत्वों द्वारा
- पारदर्शी स्थानांतरण प्रक्रिया का अनुपालन
- सजा के रूप में स्थानांतरण न हो

इस प्रकार सिविल सेवा की स्थानांतरण संबंधी नीतियों को सुचारु करके नीति-कार्यान्वयन को प्रभावी बनाया जा सकता है।

VisionIAS

Call us : 8468022022, 9019066066 Visit us : www.visionias.in

Q8. प्रमुख खाद्य उत्पादक होने और व्यापक पोषण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद, भारत कुपोषण के संकट से क्यों जूझ रहा है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite being a major food producer and implementing extensive nutrition programmes, why does India continue to struggle with the malnutrition crisis? (Answer in 150 words) 10

कुपोषण का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें अल्पपोषण या अति पोषण के फलस्वरूप सही मात्रा में पोषण न मिल पाने से व्यक्तियों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध होता है

उदा- भारत के 35% बच्चे दुबलेपन से प्रभावित (NFHS-5.0)

कुपोषण के कारण

- सामाजिक कारण
  - खाद्य आदतें जैसे - भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी तो प्रोटीन की कमी
  - गरीबी & बेरोजगारी
    - पर्याप्त क्रय शक्ति का अभाव
  - अच्छा/दुबला दिखने की चाह में पोषक तत्वों पर ध्यान नहीं
  - निम्न स्वास्थ्य स्थितियां

VisionIAS

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- **आर्थिक कारण**
  - गरीबी – लगभग 21% जनसंख्या गरीब
  - उच्च मुद्रास्फीति – प्याज, आटा, तेल, खाद्यान्न जैसी वस्तुओं में
- **प्रशासनिक कारण**
  - सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार
  - Inclusion तथा Exclusion त्रुटियाँ
  - PDS प्रणाली में कमी
- **अन्य कारण**
  - फूड स्वैम्प तथा फूड डेजर्ट (food swamp & food desert)
  - खाद्यान्न बर्बादी (प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 50 kg खाद्य बर्बाद (UNEP रिपोर्ट))
  - आदि

उपाय

- फूड-फोर्टिफिकेशन
- खाद्य मुद्रास्फीति का नियंत्रण
- सरकारी योजनाओं का सुचारीकरण
- भ्रष्टाचार में कमी
- खाद्य बर्बादी में कमी
- NGO, C.S की मदद

SDG 1, 2, 4 की उपलब्धि तथा डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए कुपोषण संबंधी समस्याओं का समाधान आवश्यक

VisionIAS

Q9. "ईरान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध जारी रहेंगे, भले ही इससे पश्चिम को असुविधा हो।" उपर्युक्त कथन के आलोक में, स्पष्ट कीजिए कि ईरान के साथ संबंध जारी रखना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

"India's close engagements with Iran would continue even if it may cause discomfort with the West." In the light of the above statement, explain why maintaining a relationship with Iran is significant for India. (Answer in 150 words) 10

भारत और ईरान के संबंध प्राचीन काल से ही घनिष्ठ रहे हैं। आजादी के बाद भी ये संबंध मजबूत रहे लेकिन पिछले दो दशकों में विभिन्न कारणों से इन संबंधों में खटास देखी गई है।

जैसे - चाबहार पोर्ट डील रद्द करना

~~पश्चिम~~ भारत-ईरान संबंधों से पश्चिम को असुविधा

- भारत द्वारा ईरानी तेल खरीदना
- मुद्रा संमझौता - रुपया - रियाल समझौता
- JCOPA (अमेरिकी परमाणु प्रतिबंधों) के बावजूद भारत - ईरान संबंध
- पश्चिम, इजरायल तथा ईरान तीनों के साथ भारत की भू-रणनीतिक साझेदारी

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जारी रखना महत्वपूर्ण क्यों?

- आर्थिक आयाम – लगभग $5 Bn का व्यापार
  - भारत को सस्ता तेल आयात सुविधा
  - स्थानीय मुद्रा में सेटलमेंट या व्यापार भुगतान
- पाकिस्तान का प्रतिरोध करने के लिए
- भू-रणनीतिक कारण
  - मध्य एशिया तक पहुंच बढ़ाने हेतु (INSTC गलियारा)
  - अफगान शांति हेतु तथा अफगान में निवेश रक्षा हेतु (जरांज डेलाराम रेल लिंक)
  - चीन तथा ईरान की 25 वर्षीय संधि
  - नया एलायंस – ईरान, चीन तथा रूस
- ऊर्जा सुरक्षा हेतु

ईरान भारत का विस्तारित पड़ोस है जिसकी आर्थिक-राजनीतिक गतिविधियां भारत को प्रभावित करती है इसलिए पश्चिम की असुविधा के बाद भी हमें मित्रता रखनी होगी

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q10. भारत और चीन के बीच सीमा तनाव को प्रभावी तरीके से कम करने में भारत-चीन सीमा शांति और स्थिरता समझौते (BPTA) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the role of the India-China Border Peace and Tranquility Agreement (BPTA) in effectively diffusing border tensions between India and China. (Answer in 150 words) 10

भारत और चीन के बीच लगभग 2600 km लंबी भू-सीमा अवस्थित है जिसमें कई क्षेत्रों पर सीमा तनाव दिखाई पड़ता है

भारत चीन सीमा विवाद

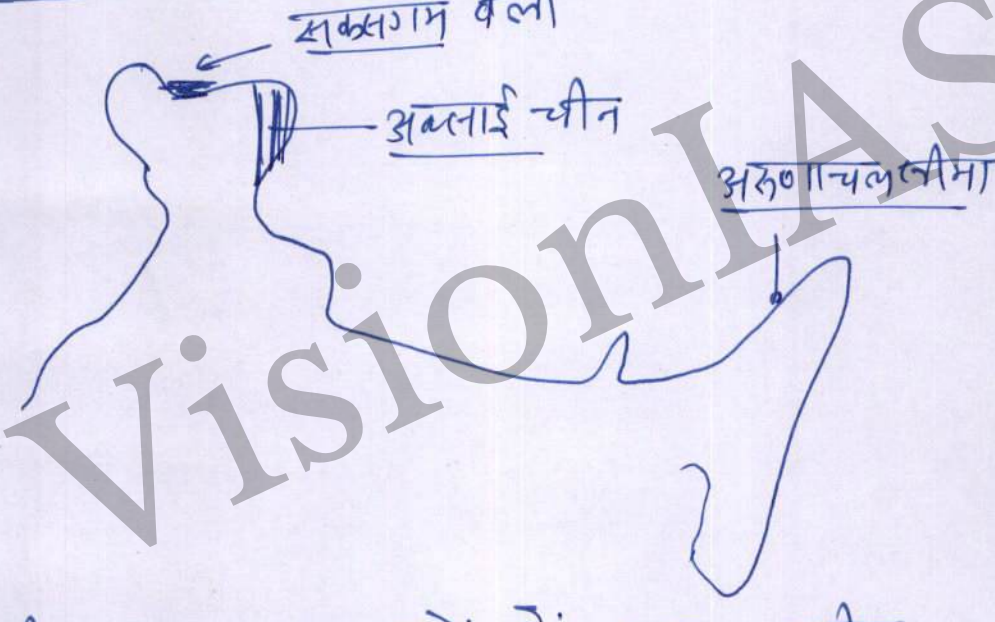

सीमा तनाव कम करने में भारत-चीन सीमा शांति और स्थिरता समझौते की भूमिका

- दोनों देशों में सशस्त्र युद्ध नहीं
- सीमा विवाद पर सर्वसम्मति से फैसला

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- सैन्य अधिकारियों के मध्य बातचीत से समझौता करना
- एक-दूसरे की सीमा का सम्मान
- बैक चैनल डिप्लोमेसी (Back channel Diplomacy) का उपयोग

VisionIAS

Q11. आपकी राय में, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन कराने से भारत में समग्र शासन को किस हद तक बढ़ावा मिल सकता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent, in your opinion, can holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies augment overall governance in India? (Answer in 250 words) 15

विधि आयोग, नीति आयोग, संविधान समीक्षा आयोग आदि संस्थाओं ने लोकसभा तथा राज्य विधान सभा के निर्वाचन एक साथ करवाने की अनुशंसा की है।

एक साथ चुनाव का तात्पर्य एक दिन में समस्त देश में चुनाव न होकर एक सत्र में विधानसभा तथा लोकसभा के लिए एक बार में मत डालने की प्रक्रिया से है।

एक साथ चुनाव से समग्र शासन को फायदा

- आर्थिक फायदा
  - बार-बार सरकारी मशीनरी का उपयोग से बचाव इसलिए आर्थिक व्यवहार्यता
- सरकारी मशीनरी
  - सरकारी कर्मचारी, पुलिस व्यवस्था

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

— तथा अन्य मशीनों का बार-बार उपयोग नहीं

→ आचार संहिता
- बार-बार चुनावों के कारण बार-बार आचार संहिता लगानी पड़ती है जिसके फलस्वरूप कल्याणकारी योजनाएं बाधित होती हैं

→ वोटर टर्नअराउण्ड बढ़ने की उम्मीद
- पांच साल में केवल एक बार चुनाव तो वोटर प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद

→ प्रवासी नागरिकों को फायदा
- नागरिकों को बार-बार मतदान हेतु अपने मूल स्थान न लौटना पड़ेगा।

चुनौतियां

→ राज्य मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी

→ राज्य दलों की व्यवहार्यता कम हो जायेगी उदा. हाल ही में ओडिशा में

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ 5 साल से पूर्व कोई विधानसभा भंग तो उस स्थिति में उप-चुनाव की समस्या

→ सरकारी मशीनरी पर अत्यधिक भार
  └ लाखों की संख्या में EVM आदि की जरूरत

एक साथ चुनाव की परंपरा शुरुआती चार चुनावों में 1967 तक सुचारु रूप से चल रही थी। वर्तमान में एक साथ चुनाव हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करके आगामी निर्णय लेने चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q12. भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए समय के साथ विकसित हुआ है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Indian Constitution is a living document that has evolved with time to reflect the changing needs and aspirations of the society. Comment. (Answer in 250 words) 15

संविधान के जीवंत होने का तात्पर्य है कि समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार कुछ प्रावधान जोड़े जायें तथा कुछ प्रावधान हटाये जायें।

उदा. → प्रिवीपर्स का उन्मूलन (26 वां संवि. संशो.)
↘ पर्यावरण का अधिकार (M.C. मेहता वाद)

(समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब)

→ प्रथम संविधान संशोधन
└ 9वीं अनुसूची जोड़ी - उद्देश्य भू-सुधारों को सुरक्षा देना लेकिन आई. आर. कोएल्हो वाद से 24 अप्रैल 1973 के बाद के सभी संशोधनों की न्यायिक समीक्षा

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ 7 वां संविधान संशोधन
  ↳ भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

→ 24 वां संविधान संशोधन
  ↳ संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनिवार्य सहमति

→ 42 वां संविधान संशोधन
  ↳ समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, ईदीक्ति शब्द जोड़े
  → मूल कर्तव्य जोड़े.
  ↳ राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में बदलाव

→ 44 वां संविधान संशोधन
  ↳ संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार बनाया
  → आपातकाल के लिए मंत्रीमंडल की मंजूरी अनिवार्य

→ केशवानन्द भारती केस (1973)
  → आधारभूत संरचना का सिद्धांत

→ 52 वां संविधान संशोधन - दल बदल कानून

→ 86 वां संविधान संशोधन → शिक्षा का अधिकार (A 21-A)

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- 61 वां संवि. संशो → मतदान की उम्र 18 वर्ष
- 97 वां संवि. संशो → सहकारिता
- 72वां / 73 वां संवि. संशो. → विकेंद्रीकरण को बढ़ावा तथा पंचायती राज की स्थापना
- 101 वां संविधान संशोधन
  - एक राष्ट्र एक कर प्रणाली
- 102वां - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- 103 वां संविधान संशोधन - EWS - 10% आरक्षण
- 106 वां संविधान संशोधन → लोकसभा तथा राज्य विधान सभा तथा दिल्ली वि.स. में महिलाओं को 10% आरक्षण

इस प्रकार हम देखते है कि पहले संविधान संशोधन से लेकर 106 वें संविधान संशोधन तक संविधान विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही समय के साथ परिवर्तन व बदलाव ग्रहण करने की क्षमता के कारण ही यह जीवंत दस्तावेज माना जाता है।

VisionIAS

Q13. भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में विद्यमान कमियां विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

How do the deficiencies in the Indian criminal justice system impact the human rights of undertrial prisoners? What reforms are necessary to address these deficiencies? (Answer in 250 words) 15

विचाराधीन कैदी वे कैदी है जिनका मुकदमा अभी न्यायालय में चल रहा है तथा अंतिम न्याय निर्णयन की प्रतीक्षा कर रहे है।
NCRB डेटा के अनुसार भारतीय जेलों मे 70% से अधिक कैदी विचाराधीन कैदी है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में कमी से विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकार पर प्रभाव

- A.20 → दोहरी सजा से उन्मुक्ति से विरोधाभास
  ↓
  दा. जब तक दोष सिद्ध नही तब तक जेल में बंद होने से

VisionIAS

→ A.21 → सुनवाई का अधिकार
  ↓
  ध. सुनवाई में अत्यधिक समय लगने से अधिकार बाधित

→ A.21 → गरिमापूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता
  ↓
  ध. विचाराधीन कैदी यदि निर्दोष भी साबित हो जाए तो सामाजिक कलंक लगाना

→ जेलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव जिसके चलते मानवीय अधिकार व जीवन की उपेक्षा

→ 70% से अधिक जेलें दुगनी क्षमता पर भरी हुई है इस कारण पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि के अधिकार बाधित

विभिन्न समितियों जैसे- मुल्ला आयोग, आदि ने विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर कई सुझाव दिये है।

VisionIAS

सुझाव

- SC → Bail is a Norm Jail is exception
  अर्थात अपवादस्वरूप ही जेल की सजा देनी चाहिए अन्यथा व जमानत का प्रावधान
- सामुदायिक सेवा → छोटे-मोटे अपराधों हेतु जेल की बजाय सामुदायिक सेवा (भारतीय न्याय संहिता, 2023)
- जेलों का आधुनीकिकरण
- जेलों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति
- क्षमता से अधिक कैदी न रखना
- न्याय-प्रणाली में सुधार
- ऑनलाईन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन (ODR) वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आदि की स्थापना

"न्याय में देरी न्याय से वंचना है" इसलिए विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर सरकार व न्यायपालिका को गंभीरता से विचार करना चाहिए

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q14. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का प्रभावी तरीके से निर्वहन क्यों नहीं कर पाया है? इसे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टिट्यूशंस (GANHRI) से मान्यता प्राप्त करने से रोकने के लिए कौन-से कारण उत्तरदायी हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Why has the National Human Rights Commission (NHRC) not been able to effectively carry out its role as the watchdog of human rights in India? What are the reasons that have prevented it from getting accreditation from the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)? (Answer in 250 words) 15

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना सन 1983 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई। जिसका मूल उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा और समतामूलक समाज की स्थापना तथा सुभेद्य वर्गों को सहायता प्रदान करना था

लेकिन पिछले 50 वर्षों का इतिहास उठाकर देखे तो हम पाते है कि NHRC के कार्यों को आंशिक सफलता ही मिल पाई है।

कारण
- राजनीतिक कारण
  - न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं

VisionIAS

- सेवानिवृत्ति बाद NHRC को अच्छा विकल्प मानना (जजों द्वारा)
- भाई-भतीजावाद के कारण नियुक्तियों में देरी

संस्थागत कारण
- अपने आदेशों को अनुपालन करवाने की शक्ति का अभाव
- NHRC मात्र सलाहकारी आयोग
- स्वयं की जांच समितियों का अभाव
- सरकार द्वारा NHRC रिपोर्ट पर ध्यान न देना

आर्थिक कारण
- सीमित आर्थिक क्षमता
- आर्थिक मुआवजा संबंधी सलाह दे सकती है पर स्वयं मुआवजा नहीं दे सकती

अन्य कारण
- न्यायिक विलंब
- जन-जागरुकता का अभाव

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

GANHARI की सदस्यता / मान्यता रोकने से संबंधित कारक

- सैन्य ~~न्यायालयों~~ मामलों से संबंधी मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र नहीं
- मानवाधिकारों की रक्षा करने में सीमित सफलता होना
- GANHARI के मानदंडों पर खरा न उतरना।

'न्याय के शासन' के लिए आवश्यक है कि NHRC की क्षमता व अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाये तथा न्यायिक विलंब को दूर किया जाये ताकि मानवाधिकारों की रक्षा हो सके।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q15. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि और प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। अधिनियम के कार्यान्वयन में सामना की जाने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए। इसकी प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ प्रस्तुत कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the background and key provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. List the implementation challenges that the Act faces. What measures can improve its effectiveness? Refer to Supreme Court judgments in this regard. (Answer in 250 words) 15

राजस्थान में एक महिला भंवरी देवी (नर्स) का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ। जिसके फलस्वरूप विशाखा NGO द्वारा PIL फाईल करने के द्वारा न्यायिक निर्णय के माध्यम से 'विशाखा गाईडलाइन' जारी की गई।

कालांतर में इन्हीं गाईडलाईंस को कानून का रूप देकर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) बनाया गया।

प्रावधान

- धारा (2) – परिभाषाएँ
  - कार्यस्थल, नियोक्ता
  - यौन उत्पीड़न

VisionIAS

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- धारा (3)
  - कार्यस्थल में कार्यालय, गोदाम, किसी कार्य से अन्य स्थान पर जाना, ऑफिस की गाड़ी इत्यादि शामिल है।
- घटना घटने के 90 दिन में सक्षम अधिकारी को लिखित आवेदन
- धारा (9) – आंतरिक शिकायत समिति गठन → 1 अध्यक्ष (अनिवार्य महिला) + 2 सदस्य (कम से कम 1 महिला)
- धारा (10) – बाह्य शिकायत समिति
  - जिला कलेक्टर द्वारा
- प्रक्रिया – लिखित आवेदन पर जांच शुरु
  - जांच के दौरान अभियुक्त को 3 माह का अवकाश या आरोपी को अन्यत्र स्थानांतरित करना या अवकाश
- ⇒ यदि गंभीर प्रकृति का मामला तो FIR तथा न्यायालय की मदद
- आंतरिक शिकायत समिति गठन न करने पर दंड व जुर्माना का प्रावधान
- ऐसा माहौल स्थापित करना की कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा हो।

VisionIAS

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ

- शिकायत समिति (आंतरिक व बाह्य) का गठन नहीं
- महिलाओं को इज्जत का डर
- नियोक्ता द्वारा महिला को ~~[illegible]~~ डरा के रखना
- रोजगार छीनने का डर
- कई बार झूठी शिकायतें
- नियोक्ता द्वारा समझौता (पैसे के बदले)

उपाय

- शिकायत समितियों का गठन
- संस्थानिक स्तर पर अधिकतम सूचनाएं साझा करना
- CCTV कैमरा जैसी तकनीक का उपयोग
- SHE-BOX की स्थापना
- शिकायत समिति द्वारा व्यक्तिगत फीडबैक लेना
- दोष सिद्ध व्यक्ति की तुरंत FIR तथा न्यायिक हस्तक्षेप

थर्ड बिलियन रिपोर्ट के अनुसार यदि महिला श्रमबल में प्रवेश करती है तो 27% GDP वृद्धि होगी। इसलिए आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु कार्य स्थल पर महिला सुरक्षा आवश्यक है।

VisionIAS

Q16. राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों से संबद्ध पूर्वाग्रह और पक्षपात के मुद्दों को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें दी गई शक्तियां वापस ले ली जानी चाहिए? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

With issues of prejudice and partisanship associated with Speakers of State Legislative Assemblies, should the powers under the anti-defection law be taken away from their hands? (Answer in 250 words) 15

52 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका मूल उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को विनियमित करना है।

दल-बदल कानून के तहत अध्यक्ष (लोकसभा तथा राज्य विधान सभा) को दल-बदल संबंधी मुद्दों पर कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है।

वर्तमान समय में अध्यक्षों को इस विवेकाधीन शक्ति के कारण कई मुद्दे उभरे हैं।

मुद्दे

→ अध्यक्ष स्वयं ही शिकायतकर्ता, तथा स्वयं ही शिकायत निपटान करने की भूमिका में (प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध)

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ अध्यक्ष, अध्यक्षपद ग्रहण करने के बाद भी अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र नहीं देता

→ राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना

↳ जैसे. अपने दल के सदस्य की गलतियों को नजरंदाज करना जबकि अन्य दल तो त्वरित कार्रवाई करना

→ समय-सीमा का अभाव

↳ दल-बदल निर्णयन हेतु कानून द्वारा कोई समय-सीमा तय नहीं

क्या अध्यक्ष से ये शक्तियाँ वापस ले लेनी चाहिए

पक्ष

→ अध्यक्ष पर पूर्वाग्रह और पक्षपात जैसे आरोप

→ अध्यक्ष को अत्यधिक विवेकाधिकार

→ समय-सीमा का अभाव

→ अध्यक्ष-राजनीतिक-दल से त्याग नहीं देता।

VisionIAS

विपक्ष

- एक आध मुद्दों को छोड़ दें तो अध्यक्ष अपनी कार्रवाई बखूबी निभाता है।
- वि॰स॰ में व्यवधान

क्या किया जाये?

- अध्यक्ष से ये पद छीन का निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग की सहायता से राष्ट्रपति को दे दिया जाये।
- समय- सीमा का निर्धारण (3 माह)
- अध्यक्ष- अपने दल से त्याग-पत्र दे तथा जब अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे तो दल की सदस्यता ग्रहण कर सके।
- एकदा- अध्यक्ष सर्वदा अध्यक्ष व्यवस्था ताकि अध्यक्ष राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहें।

लोकतंत्र के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक है कि दल- बदल जैसे नियमों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन किया जाये।

VisionIAS

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q17. हाल ही में, यू.जी.सी. ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसरों की स्थापना और संचालन के लिए विनियम जारी किए हैं। भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के प्रवेश को अनुमति देने के कारणों की विवेचना कीजिए। उनके सुचारू प्रवेश को सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Recently, the UGC released regulations for establishment and operation of campuses by foreign universities in India. Discuss the reasons for allowing the entry of Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India. What are the major obstacles in ensuring their smooth entry? (Answer in 250 words) 15

आज भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है तथापि कुछ नये विषयों तथा क्षेत्रों का अन्वेषण तथा अध्ययन हमेशा जारी रहता है, इस कारण UGC ने भारत में विदेशी वि.वि. द्वारा परिसरों की स्थापना और संचालन हेतु अनुमति जारी की है।

उदा. → GIFT सिटी गुजरात में आस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटी के कैंपस स्थापना की घोषणा

FHEI प्रवेश अनुमति के कारण

→ वैश्विक संस्थानों की भारत में उपस्थिति शून्य
 └ इस विनियमन से पहले एक भी FHEI भारत में नहीं थी।

→ भारत में छात्रों की संख्या अधिक HEI कम

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- ज्ञान एवं नवाचार → A.I के क्षेत्र में शिक्षा के विषयों में नित्य नए ज्ञान एवं नवाचार जिनकी भारत में सीमित उपलब्धता
- भारतीय विद्यार्थी विदेशों में जाने की प्रवृत्ति
- समस्त विश्व के साथ जुड़ाव
- नए वैश्विक संस्थान भारत में तो ज्ञान का प्रसार
- ब्रेन अवॉइड डेफिसिट (AD)
  - ↳ भारतीय विद्यार्थी बाहर जाने

प्रमुख बाधाएं

- भारतीय शिक्षा संकुलों द्वारा विरोध
- ये संस्थान डिस्टेंस लर्निंग सेंटर या ऑनलाईन सेंटर न बन जाए ऐसी आशंका
- अधिकांश FHEI भारत को ज्ञान

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के क्षेत्र में पिछड़ा मानते है।

→ ऐसी आशंका की ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के बजाय अप्रचलित कमजोर तबके को FHEI भारत में न आ जायें।

आगे की राह

- FHEI को अनुमति दी जानी चाहिए
- स्पष्ट नियम व कानून बनाये जायें
- भारतीय संस्थानों का विदेशीकरण
- भारतीय संस्थानों का क्षमता विकास
- अनुसंधान एवं विकास पर अधिक जोर

FHEI, भारत में वैश्विक ज्ञान को लाने का कार्य करेंगे साथ ही SDG: 3 - शिक्षा (गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा) को पूरा करने के लिए भी यह आवश्यक है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q18. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल रहा है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent has the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) achieved its core objectives? (Answer in 250 words) 15

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का उद्देश्य ग्रामीण जनता को काम उपलब्ध करवाना है

उद्देश्य

- ग्रामीण जनता को काम उपलब्ध करवाना
- गरीबी निवारण
- आजीविका सुरक्षा
- डिमांड ड्रिवन (Demand Driven approach)

प्रमुख प्रावधान

- 100 दिनों का गारंटीकृत काम
- राज्यवार अलग-अलग पारिश्रमिक
- काम पाने का अधिकार
- काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता

VisionIAS

मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता

- गरीबी निवारण → नीति आयोग की MPI रिपोर्ट के अनुसार 2005-15 के मध्य 250 मिलियन से अधिक जनता बहुआयामी गरीबी से बाहर
- काम का अधिकार → पश्चिमी बंगाल, राजस्थान जैसे राज्यों में करोड़ों कार्य-दिवसों का सृजन
- बेरोजगारी भत्ता → काम न मिलने की दशा में
- कोविड महामारी के समय प्रवासी वापस लौटने पर उन्हें सहायता
- राजस्थान में मनरेगा की तर्ज पर शहरी मनरेगा योजना का कार्यान्वयन
- सोशल ऑडिट के माध्यम से उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना

VisionIAS

मुद्दे

- भ्रष्टाचार
- कम- मनी की समस्या
- मशीनों से काम
- ठेकेदार- सरपंच- सचिव गठबंधन
- प्रभावी या टिकाऊ काम नहीं

गरीबी निवारण जैसे उद्देश्यों को हासिल करने में मनरेगा ने काफी सफलता हासिल की है। SDG-1 - गरीबी निवारण हेतु ऐसे प्रयास सतत की आवश्यकता है।

VisionIAS

Q19. "बदलती हुई भू-राजनीतिक परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी की सामरिक अवस्थिति को हिंद-प्रशांत की व्यापक अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं।" उपर्युक्त कथन के आलोक में, क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने में बिम्सटेक (BIMSTEC) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

"Changing geopolitical realities make the strategic location of the Bay of Bengal crucial to the wider concept of the Indo-Pacific." In the light of the above statement, discuss the role of the BIMSTEC in enhancing regional cooperation and promoting stability. (Answer in 250 words) 15

बिम्सटेक सन 1997 में चार देशों बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका द्वारा निर्मित संस्था है जो वर्तमान में सात देशों नेपाल, भूटान, मालदीव को शामिल करता है।

गठन के कारण

- SAARC की असफलता
- बंगाल की खाड़ी को केंद्र बनाकर गठन
- क्षेत्रीय सहयोग
- क्षेत्रीय स्थिरता
- आपसी व्यापार

बिम्सटेक की भूमिका

- क्षेत्रीय सहयोग
  - IMT हाइवे

VisionIAS

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- BBIN मोटर समझौता
- कनेक्टिविटी
  - भारत बांग्लादेश
    - कलादान मल्टीमाडल प्रोजेक्ट
- ब्लू डेश SAGAR में शामिल (Security and growth for All in Region)
- वैक्सीन मैत्री

विफलता

- आपसी व्यापार
- सैन्य अभियान
- आपसी मुद्दे नगण्य
- Global South की अवधारणा

मुद्दे

- म्यांमार में तख्तापलट
- बांग्लादेश भारत सीमा विवाद

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VisionIAS

Q20. विवेचना कीजिए कि भारत की विस्तारित रक्षा कूटनीति किस प्रकार पड़ोस में इसके प्रभाव को सुदृढ़ करती है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss how India's expanding defence diplomacy strengthens its influence in the neighbourhood. (Answer in 250 words) 15

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

VisionIAS

VisionIAS